राजस्थान विधान सभा

६ ठी बैठक, सोमवार १४ मार्च सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन जयपुर में २ बज कर २५ मिनिट (मध्यान्होत्तर) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

सदन द्वारा नेपाल के महराजा, श्रीयुत त्रिभुवन के देहावसान पर शोक प्रदर्शन।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, मुझे आपके द्वारा सदन को दुखद समाचार देते हुए बहुत ही अफसोस होता है कि आज नेपाल के महाराजा, श्रीयुत् त्रिभुवन, का देहावसान होगया है। पिछले वर्षों के अन्दर नेपाल में जनतन्त्र के लिए उन्होंने जो कुछ किया, मैं समझता हूं, सदन के प्रत्येक सदस्य को वह बहुत अच्छी तरह से विदित है। वहां पर ऑटोक्रेसी पूर्ण रूपेण कार्य कर रही थी, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेसी को लागू करने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न किया। आज उनके देहावसान से हम सब को शोक है और मैं उनके प्रति अपना शोक प्रदर्शित करने के लिए आपके द्वारा सदन से भी निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—सदन के नेता ने जो दुखद संवाद माननीय सदस्यों के सामने रखा हैं, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए एक मिनट खड़े होकर प्रार्थना करें।

(सदन द्वारा एक मिनिट तक खड़े होकर मौन प्रार्थना)

आय-व्ययक भाषण

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—(भाषण प्रारम्भ करने के लिए खड़े होने पर करतल ध्वनि) श्रीमान् माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य का १९५५-५६ का बजट प्रस्तुत करता हूं।

लगभग ६ वर्ष पूर्व कई पुरानी रियासतों को मिला कर, इस नये राज्य का निर्माण हुआ। उन पुराने राज्यों की अर्थ व प्रशासनिक व्यवस्था भिन्न भिन्न प्रकार की थी। इस नव निर्मित राज्य के प्रशासन को आधुनिक रूप देने के लिये, जिससे कि वह जनता की बढ़ती हुई मांगों को पूरी कर सके, पर्याप्त समय, श्रम व धन की आवश्यकता थी।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

राज्य की सरकार के सामने एक दुरूह कार्य उपस्थित था । एकीकरण की जटिल समस्याओं के साथ राज्य के विशाल भागों में फैले निरन्तर दुर्भिक्ष और कमी की स्थिति से उत्पन्न परिस्थितियों का भी सामना करना था । इसलिये शुरु के कुछ वर्षों में कोई महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति करना संभव नहीं हो सका ।

अब नयी प्रशासनिक व्यवस्था जम जाने के बाद हम राज्य की अर्थ व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने में लगे हुए हैं ।

हमारा उद्देश्य, कांग्रेस के आवड़ी अधिवेशन में आर्थिक नीति के संबंध में स्वीकृत किये गये प्रस्तावों के अनुसार सामाजवादी व्यवस्था के आधार पर एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है । (हियर हियर) इसलिये हमारा सारा प्रयत्न आर्थिक विकास की ओर ही होना चाहिये । हमें संचार के साधनों का सुधार और विकास करना है, सिंचाई की अधिक सुविधायें प्रदान करनी हैं तथा औद्योगिक और कृषि संबंधी उत्पादन में सहायता देने के लिये सस्ती बिजली उपलब्ध करनी है । पंच वर्षीय योजना का लक्ष्य बहुमुखी योजनाओं (Multi-purpose Schemes)—जल विद्युत, और बाढ़ नियन्त्रण—सामाजिक सेवाओं का सुधार और विस्तार, औद्योगिक उत्पादन के लिये अधिक सुविधाओं की व्यवस्था आदि सभी दिशाओं में प्रगति करने का है । इसलिये हमारी सारी शक्ति विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने पर लगी हुई है । अस्तु, १९५५–५६ का वर्ष, जो इस योजना का अन्तिम वर्ष है, बड़े महत्व का है । आगे चल कर मैं संक्षेप में बताऊंगा कि अपने राज्य की योजना में हमने कितनी सफलता प्राप्त की है । अभी तो में केवल उस पृष्ट भूमि का ही आभास दे रहा हूं जिसके आधार पर आगामी वर्ष के आय–व्ययक अनुमान तैयार किये गये हैं ।

हमारे राज्य में खनिज संपत्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है पर धनाभाव के कारण इसको निकालना संभव नहीं हो सका है ।

साथ ही बड़े, मध्यम श्रेणी के और छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये भी विशाल क्षेत्र मौजूद है ।

आर्थिक प्रवृत्तियों का रुख हमारे पक्ष में है । भाव सब तरफ गिर रहे है । कतिपय खाद्यान्नों के मूल्यों में कुछ ज्यादा गिरावट आई है किन्तु भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों, भावों में आर्थिक संतुलन बनाये रखने के उपाय प्रयोग में ला रही है ।

औद्योगिक और कृषि संबंधी उत्पादन में संतोषजनक प्रगति हुई है । इसकी गति को और बढ़ाना है । भारत सरकार की यह घोषणा कि व्यवसायिक प्रयोजनों के लिये लगाये गये स्थिर यन्त्रों व मशीनरी के मूल्यों पर २५% विकास संबंधी छूट दी जायगी इस ओर एक अच्छा कदम है जिससे उद्योगों के विकास को काफी प्रोत्साहन मिलना चाहिये ।

पांच वर्ष का समय, जिसके लिये विशेषतया हमें अन्तर्राज्य कस्टम्स कायम रखने की अनुमति दी गई थी, ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त हो रहा (हियर हियर) है और १ अप्रेल १९५५ से यह

Page No.3

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

कर हटा दिया जायगा (हियर, हियर) । इस प्रकार एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच बे रोक टोक व्यापार करने पर जो बाधा है वह हट जायगी और बहुत बड़ी संख्या में दूसरे लोगों को तो लाभ होगा ही साथ साथ किसानों को भी इससे अपनी उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त करने और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का विकास करने में सहयोग मिलेगा ।

इस सीगे से सरकार को काफी आमदनी होती है इसलिये सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उपस्थित हो गई है । एक ओर आमदनी कम हो जायगी और दूसरी ओर प्रशासनिक कार्य और खास कर विकास के क्षेत्र में बढ़ते हुए कार्यों के लिये अधिक व्यय की व्यवस्था करने की जबरदस्त मांग है । इस राज्य में पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास संबंधी कार्य-क्रम को चालू वर्ष में तीव्रगति के साथ आगे बढ़ाया गया है और समस्त विभाग मार्च १६५६ के अन्त तक सारा कार्यक्रम पूरा करने में पूरी शक्ति लगा रहे हैं । यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि हमें पहले ही विदित था कि ऐसी परिस्थिति पैदा होने वाली है और भारत सरकार भी इससे पूरी तरह परिचित है । इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये स्मृति पत्र में हमने अन्तर्राज्य मार्ग कर हटाने और विक्रय कर लगाने से उत्पन्न होने वाली कमी को पूरा करने के निमित्त आर्थिक सहायता के लिये अपनी मांग पर काफी बल दिया है । इस प्रकार आमदनी में होने वाले ४०० लाख रुपये के घाटे को हमने काफी हद तक विक्रय कर व अन्य साधनों से आमदनी करके तथा व्यय में बचत करके पूरा करने का जिम्मा लिया और उस बीच के समय में जब तक कि हमें जागीरों के पुनर्ग्रहण से पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता हमने केन्द्रीय सरकार से १५० लाख रुपये की सहायता मांगी । क्योंकि आगामी वित्त आयोग सारी स्थिति का सिंहावलोकन करेगा इसलिये भारत सरकार ने किसी भी प्रकार का सहायतार्थ अनुदान देने के प्रति अनिच्छा प्रकट की है पर वह मार्गोपाय ऋण (Ways and means loan) के रूप में १५० लाख रुपये तक की सहायता देने को सहमत हो गई है ।

दूसरी खास बात जिसका राज्य की आर्थिक और वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम का लागू होना है । यह सुधार कार्यान्वित किये जा रहे हैं पर परिवर्तन काल में जागीरदारों के पुनर्वास और मुआवजा देने पर काफी व्यय करना पड़ेगा । जागीरी क्षेत्रों में सामाजिक सेवाओं को अन्य क्षेत्रों के स्तर पर लाने के लिये व्यय की मात्रा बढ़ानी होगी और इस पर भी अतिरिक्त खर्चा लगेगा ।

सामान्य तौर पर इतनी बातें बताने के बाद अब में पिछले दो वर्षों की वित्तीय प्रक्रियाओं का वर्णन करुंगा और चालू वर्ष में जो काम किये गये हैं उन पर प्रकाश डालूंगा क्योंकि इससे आगामी वर्ष के अनुमानों को सही सही समझने में सहायता मिलेगी ।

१६५२-५३ के लेखे—१६५२-५३ के लेखों से प्रकट होता है कि उस वर्ष की वास्तविक राजस्व प्राप्ति १८१५. ०१ लाख रुपये थी और कुल राजस्व व्यय १५६६.४६ लाख, जिससे राजस्व में २१८. ५५ लाख की बचत रही । अनाज की बिक्री से प्राप्त हुए १४५. ४७ लाख रुपयों को शामिल करते हुए शुद्ध पूंजी व्यय ५. ११ लाख रुपये हुआ । वर्ष के दौरान में खर्चे की प्रगति धीमी रहने के अलावा, २ करोड़ रुपये से ऊपर की बचत का मुख्य कारण यह था कि वित्त आयोग की सिफारिश

Page No.4

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]
के आधार पर २६६.८६ लाख रुपये की सहायता बहुत देरी से लगभग वर्ष की समाप्ति के समीप प्राप्त हुई।

१६५३-५४ के लेखे-समस्त संबन्धित तत्वों और जागीरों के पुनर्ग्रहण से प्रत्याशित अतिरिक्त आमदनी, भारत सरकार की सहायता तथा विभिन्न सीगों के अन्तर्गत प्रत्याशित प्राप्तियों को ध्यान में रखने के बाद राजस्व आय-व्ययक अनुमान १६५३-५४ वर्ष के लिये वर्ष के १६४४.०० लाख रखे गये थे। तथा (१) जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के लागू करने, जिसमें जागीरदारों को दी जाने वाली क्षति पूर्ति की राशि भी शामिल थी, के कारण भू राजस्व के लिये (२) पुलिस दल, जिसमें कि पाकिस्तान से मिली सीमा की रक्षा के लिये नियुक्त राजस्थान सशस्त्र सिपाही दल भी सम्मिलित है, को मजबूत बनाने के निमित्त पुलिस के लिए (३) शिक्षा के लिये (४) चिकित्सा के लिये (५) कृषि के लिये (६) सिंचन तथा अन्य सीगों के लिये बढ़े हुए खर्च की व्यवस्था करने के बाद वर्ष में कुल १६४४.०० लाख रुपया खर्च करने की योजना थी। इस प्रकार ऐसी आशा लगाई गई थी कि आमदनी और खर्च दोनों बराबर रहेंगे।

आठ महीनों के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर १६५३-५४ के संशोधित अनुमानों में आमद १८८३.३१ लाख रुपये रखी गई थी और व्यय १८८६.७४ लाख रुपये। लेखे के अंकों के अनुसार कुल आमद १८८८.५० लाख रुपये हुई है और राजस्व लेखे के अन्तर्गत कुल व्यय १८३५.०६ लाख आता है, आमद करीब करीब संशोधित अनुमानों के बराबर ही आ जाती है पर व्यय में अवश्य कमी रहती है जिसका परिणाम यह रहा कि वर्ष की समाप्ति पर राजस्व के अन्तर्गत ५३.४१ लाख रुपये की बचत रही।

१६५४-५५ के आय-व्ययक अनुमान—विभिन्न सीगों के अन्तर्गत कुल अनुमान २१५५.११ लाखरुपये की आमदनी का था। आय कर के भाग में वृद्धि, जागीरों के पुनर्ग्रहण के कारण भू राजस्व में वृद्धि, गंग नहर के क्षेत्र में सिंचाई की दरों में वृद्धि, सोडियम सल्फेट, अन्य उद्योगों तथा गंगानगर शुगर फैक्ट्री, जिसे सरकार ने लीज पर ले लिया है, की सकल प्राप्तियों से आमदनी के कारण उद्योग और रसद के अन्तर्गत प्राप्तियों में प्रत्याशित वृद्धि तथा केन्द्रीय सरकार की सहायता, जो १६५२-५३ के १२.७० लाख के मुकाबले में १७६ लाख थी, ऐसे मुख्य कारण थे जिनके आधार पर गत वर्ष के वास्तविक अंको की तुलना में इस वर्ष प्राप्तियां अधिक अनुमानित की जा सकीं।

विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अधिक रुपया रखने, वार्षिक वेतन वृद्धि में बढ़ती तथा अन्य मदों और योजनाओं के लिये व्यवस्था रखने के कारण व्यय का अनुमान भी २१५५.११ लाख रखा गया था।

वे मुख्य सीगे जिनके अन्तर्गत ज्यादा रकम की व्यवस्था की गई थी इस प्रकार है: भू-राजस्व (प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग के कारण तथा जागीरदारों को दी जाने वाली क्षति पूर्ति के कारण), वन (विकास योजनाओं के लिये), ऐसे कार्यों पर व्याज जिनके लिये पूंजी खाते रखे जाते हैं, सामान्य प्रशासन (जिसमें स्थानीय विकास कार्यों के निमित्त २१ लाख रुपये भी शामिल

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]
थे), न्याय प्रशासन, वैज्ञानिक विभाग, शिक्षा (१९५२-५३ के वास्तविक अंक २५६.३५ लाख रुपयों और १९५३-५४ के संशोधित अनुमानों के २८६.०० लाख रुपयों के मुकाबले में ३३५.२० लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी), चिकित्सा (१९५२-५३ के वास्तविक अङ्कों के मुकाबले में लगभग २५.०० लाख अधिक), सार्वजनिक स्वास्थ्य (जिसमें २३ लाख रुपये गावों में पानी के प्रदाय के लिये थे), कृषि, ग्रामोन्नति (जिसमें पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण की योजनाओं के लिये बढ़ाकर रकम रखी गई थी), पशु चिकित्सा (विकास योजनाएं), उद्योग और रसद (गंगानगर शुगर फैक्टरी पर व्यय को सम्मिलित करते हुए), नागरिक निर्माण कार्य (जिसमें सड़कों और भवनों के संधारण और मरम्मत तथा प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिये बढ़ा कर रुपया रखा गया था), विविध सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाएं ।

विकास योजनाओं के कार्यों की प्रगति को तीव्र करने के निमित्त पूंजी गत व्यय के लिये भी बढ़ा कर रुपया रखा गया था । इस संबंध में कुल १११७.२२ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

१९५४-५५ के संशोधित अनुमान—संशोधित अनुमान, जो विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत वास्तविक आंकडों की प्रगति के आधार पर तथा वर्ष के दौरान में प्राप्तियों को प्रभावित करने वाले तत्वों को ध्यान में रखकर बनाये गये हैं, २२११.०० लाख रु० के हैं जो ५५ लाख रु० से अधिक की शुद्ध वृद्धि बतलाते हैं, जो भिन्न भिन्न शीर्षकों के अंतर्गत वृद्धियों और कमियों के बाद हुई है । निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत आय में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है:—

राज्य आबकारी कर	...	...	+ २०.००	लाख
वन	...	...	+ २.७२	,,
अन्य कर और महसूल	...	...	+ ४५.२१	,,
सिंचन निर्माण कार्य जिनके लिये पूंजी लेखे रखे जाते हैं	...	...	+ ४.९६	,,
पुलिस ...	...	...	+ २८.३१	,,
शिक्षा ...	...	...	+ ३१.३८	,,
जन स्वास्थ्य ...	...	...	+ १.८४	,,
ग्राम विकास ...	...	...	+ २.६५	,,
उद्योग और रसद	...	...	+ २१.०९	,,
केन्द्रीय सरकार से सहायतार्थ अनुदान		...	+ ३.४०	,,

राज्य आबकारी कर—प्रशासनिक व्यवस्था के चुस्त किये जाने तथा कर लगाने योग्य वस्तुओं को छिपाकर चोरी से लेजाने तथा मदिरा के अवैध रूप से आसवन (distillatiou) को रोकने के लिये अपनाये गये उपायों के कारण वास्तविक आंकड़ों के आशा से अधिक बढ़ जाने की उम्मीद है और इस प्रकार २० लाख रु० की वृद्धि हुई है ।

Page No.6

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

वन—इसमें वृद्धि पूर्व राजस्थान की पुनर्ग्रहीत जागीरों के क्षेत्रों के वनों से हुई आय के कारण है।

अन्य कर और महसूलः—बढ़ी हुई आय में कस्टम्स के कारण सारभूत वृद्धि हुई है। कुछ मदों पर से महसूल के हटा देने तथा बहुत सी वस्तुओं पर दरों में कमी कर देने पर भी संग्रहण हमारी आशाओं से बहुत अधिक हुये हैं।

सिंचन निर्माण कार्य जिनके लिये पूंजी लेखे रखे जाते हैं

इसके अंतर्गत वृद्धि गंग नहर क्षेत्र में बढ़ी हुई दरों के कारण बकाया के संग्रहण से हुई है।

पुलिसः—१९५१-५२ में आर. ए. सी. पर हुये व्यय के लिये अर्थ साहाय्य के रूप में भारत सरकार से २५.०० लाख रु० की प्राप्ति के कारण वृद्धि हुई है। यह अंक उस वर्ष के घाटे पर आधारित है। अनुगामी वर्षों के लिये अर्थ साहाय्य का प्रश्न अभी भी विचाराधीन है।

शिक्षाः—यह वृद्धि मुख्यतया परिवर्तित वर्गीकरण के अनुसार विकास योजनाओं के लिये सहायता की रकम के "केन्द्रीय सरकार से सहायतार्थ अनुदान" शीर्षक से स्थानान्तरित करने के कारण हुई है।

जनस्वास्थ्य.—जलदाय गृहों(Waterworks)से आय में कुछ वृद्धि होने के कारण प्राप्तियां अधिक हुई है।

ग्राम विकास—अधिक भुगतानों की और ज्यादा वसूलियां हो जाने से प्राप्तियां अधिक हुई हैं।

उद्योग और रसद—सोडियम सल्फेट से आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है और पिछले मौसम में गंगानगर शुगर फैक्ट्री द्वारा उत्पादित चीनी के चालू वर्ष में विक्रय के कारण तथा अधिक गन्ना पेरने के कारण भी अधिक प्राप्तियां हुई हैं।

केन्द्रीय सरकार से सहायतार्थ अनुदानः—संशोधित वर्गीकरण के अन्तर्गत इस शीर्षक से तथा इस शीर्षक को स्थानान्तरणों (Transfers) के परिणाम स्वरुप मामूली सी वृद्धि हुई है।

कुछ शीर्षकों के अन्तर्गत आय में कमी भी हुई है लेकिन कमियां वृद्धियों द्वारा कहीं ज्यादा प्रति-सन्तुलित (Counterbalanced) हो गई हैं। मुख्य शीर्षक, जिसके कि अन्तर्गत कमी हुई है, भू-राजस्व है। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम का संशोधन करना आवश्यक समझा गया और संशोधन अधिनियम को १५ जून १९५४ को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। १५ जनवरी, १९५५ तक, लगभग १२५ लाख रु० की वार्षिक आय की २८७१ जागीरें पुनर्ग्रहीत की गई हैं। पुनर्ग्रहण में विलम्ब होने के कारण इस वर्ष के संग्रहण में मुख्यतः एक फसल के सम्बन्ध में ही देय राशियां समाविष्ट होंगी और इसलिये १२० लाख रु० के आय-व्ययक अनुमान के स्थान में संशोधित अनुमानों में केवल ६० लाख रु० ही रखे गये हैं।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

व्यय—२१५५.११ लाख रु० के मूल अंक के विरुद्ध संशोधित अनुमान कुल २१६०.६६ लाख रु० है। व्यय में भी भू-राजस्व के अन्तर्गत जागीरों के पुनर्ग्रहण में प्रगति धीमी रहने के कारण कमी हुई है। संशोधित अनुमानों के अनुसार भू-राजस्व के अन्तर्गत ५३.३१ लाख रु० की बचत होने की आशा की जाती है।

कतिपय अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत भी व्यय कम हुआ है और इसीलिये संशोधित अनुमानों में अंक घटा कर रखे गये हैं।

जिन शीर्षकों के अन्तर्गत अधिक व्यय होने की आशा है वे हैं राज्य आबकारी कर (+३.०० लाख), वन (+२.७३ लाख), अन्य कर और महसूल (+३.१० लाख), ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज (+१६.४० लाख), सामान्य प्रशासन (+१६.८८ लाख), जन स्वास्थ्य (+३.५४ लाख), ग्राम विकास (+६.१० लाख), उद्योग और रसद (+७.६१ लाख), विविध विभाग (+१.१४ लाख), नागरिक निर्माण कार्य (+१२.७६ लाख), भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते (+१.८४ लाख) नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (+१८.८४ लाख), दुर्भिक्ष (+११.७४ लाख) तथा अधिवार्षिकी (Superannuation) भत्ते तथा निवृत्ति वेतन (Pensions) (+३.१७ लाख)। इस आधिक्य के कारण आय-व्ययक स्मृति-पत्र में स्पष्ट किये गये हैं और मैं यहां उनकी पुनरुक्ति करके सदन को कष्ट नहीं देना चाहता।

मूल आय-व्ययक अनुमानों में जिस सन्तुलित स्थिति की कल्पना की गई थी उसके मुकाबले में संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष के अन्त में २०.३४ लाख रु० की राजस्व बचत होने की आशा है।

१९५५-५६ के आय-व्ययक अनुमान—आगामी वर्ष के लिये विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्तियों के अनुमान समस्त प्रासंगिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए तथा आर्थिक प्रवृत्तियों का विचार करते हुए लगाये गये हैं। राजस्व की प्राप्तियों का योग २२३०.०० लाख होता है। राजस्व प्राप्तियां निम्नांकित श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं—

का—राजस्व के मुख्य शीर्षक ?

गा—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन और जल निकास निर्माण कार्य ;

ङा—ऋण सेवा ;

चा—नागरिक प्रशासन ;

जा—नागरिक निर्माण कार्य और विविधसार्वजनिक सुधार ;

झा—विद्युत योजनाएं ;

ञा—विविध ;

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

टा—केन्द्रीय और राज्य सरकार के मध्य अंशदान (Contributions) और समायोजन (adjustments).;

ढा—असाधारण मद ।

'का—राजस्व के मुख्य शीर्षक' के अन्तर्गत १९५२–५३ और १९५३–५४ में वास्तविक आंकड़े क्रमशः १४१०.८४ और १४२०.३७ लाख रु० थे । चालू वर्ष के लिए आयव्ययक अनुमान १५०९.३३ लाख रु० रखा गया था और संशोधित १५१६.६५ लाख रु० का लगाया गया है । आगामी वर्ष का पूर्वानुमान १४१०.६२ लाख रु० का है जो संशोधित के मुकाबले १०६.०३ लाख रु० की कमी बतलाता है ।

'संघीय आबकारी कर' के अन्तर्गत कोई परिवर्तन नहीं है ।

निगम (Corporation) कर के अलावा आय पर कर और भू-सम्पत्ति कर के अन्तर्गत आय कर की आमदनी से हमारे अंश (share) के लिये, भारत सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर, संशोधित अंक अपनाये गये हैं । जागीरों के पुनर्ग्रहण के साथ 'कृषि आय कर' के अन्तर्गत आय कम होने की सम्भावना है । इन्हीं कारणों से इस प्रधान शीर्षक के अन्तर्गत अनुमानों के अंक, संशोधित में २१७.८० लाख रु० के मुकाबले में २०३.४६ लाख रुपये हैं ।

१९५५–५६ में भू-सम्पत्ति कर में से हमारा अंश भारत सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार १०.४४ लाख रु० का होने की आशा है ।

संशोधित में ६० लाख रु० के स्थान में पुनर्ग्रहीत जागीरों के राजस्व के कारण २१०.०० लाख रु० सम्मिलित हो जाने के कारण भू-राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हुई है । इस सम्बन्ध में यह याद रखना है कि व्यय के अनुमान में जागीर क्षेत्रों में हानिपूर्ति के भुगतान के लिये, प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग के लिए तथा चिकित्सीय तथा अन्य सामाजिक कल्याणकारी कार्यकलापों के लिए बहुत भारी व्यवस्था रखी गई है । जागीरों के पुनर्ग्रहण के सम्बन्ध में प्रगति की गति सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई समादेश याचिकाओं (Writ petitions) के कारण रुक गई है और जागीरों के पुनर्ग्रहण के फलस्वरूप प्रत्याशित राजस्व आगे पुनर्ग्रहीत की जाने वाली जागीरों की संख्या पर निर्भर करेगा ।

'राज्य आबकारी कर'—के अन्तर्गत पर्याप्त सुधार होने की आशा है और संशोधित के अंकों का तथा प्रत्याशित वृद्धि का ध्यान रखते हुए २७५ लाख रखने का प्रस्ताव किया जाता है ।

'वन' के अतर्गत वृद्धि, जागीर क्षेत्रों के वनों से प्राप्त होने वाली आय के कारण है ।

'मोटरगाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों के अन्तर्गत १ लाख रु० की थोड़ी सी वृद्धि है ।

'अन्य कर और महसूल' के अन्तर्गत २७८. ४० लाख रु० की कमी हुई हैं और यह अन्तर्राज्य मार्ग कर के समापन तथा उसके स्थान पर विक्रय कर लागू करने के कारण है ।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

गा—सिंचन नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य—विकास कार्यक्रमों की अभि- पूर्ति (Implementation) के फलस्वरूप सिंचन के अन्तर्गत लाये गये अतिरिक्त क्षेत्र के संबंध में वसूल किये जाने वाले सिंचन प्रभारों के कारण वृद्धि हुई है।

ड़ा० ऋण सेवा,—वृद्धि, मुख्यतः भारत सरकार द्वारा लौटाये जाने वाले आयकर की बकायाओं के लिये जमा में लिये गये १८ लाख रु० के कारण है।

'चा-नागरिक प्रशासन'—के अन्तर्गत शिक्षा, जन स्वास्थ्य, कृषि और विविध विभागों में सम्बन्ध में कुछ वृद्धि दिखलाई देती है।

'जा-नागरिक निर्माण कार्य और विविध सार्वजनिक सुधार—के अन्तर्गत वृद्धि सड़कों के निर्माण के लिये भारत सरकार से प्रत्याशित अधिक सहायता के कारण है।

१९५५-५६ में भाखरा नहर से शुद्ध प्राप्तियों का अनुमान ५.२३ लाख रु० का प्रस्तावित किया गया है।

'झा-विद्युत योजनायें'—सरकार के अधिपत्य में विद्यमान बिजली घर घाटे में चल रहे हैं। अगले वर्ष ४ लाख रु० का घाटा होने की प्रत्याशा है। पुराने स्थिर संयन्त्रों (Plants) का नवीनीकरण पूर्ण हो जाने पर घाटे को पूर्णतः दूर करना और लाभ प्राप्त करना संभव हो जायगा।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की सागायोजन योजना के अन्तर्गत वर्तमान बिजली केन्द्रों की पुनर्व्यवस्था के लिये तथा ग्राम्य, कृषि एवं औद्योगिक भार को वहन करने के लिये राजस्थान में विद्युत शक्ति के और अधिक विकास के लिये २५७ लाख रु० की सहायता प्राप्त करना संभव हो गया है। इस समय सरकारी बिजली केन्द्रों की अधिष्ठापित (Installed) क्षमता ३२,०६० किलोवाट की है तथा अगले वर्ष तक २१,००० किलोवाट की और वृद्धि हो जायगी। देहातों में घरों को विद्युत शक्ति ले जाने के लिये ६७२ मील लम्बी ट्रान्समिशन लाइन लगाई जायगी। १२०० किलोवाट पैदा करने वाली क्षमता तो प्राप्त कर भी ली गई है।

राजस्थान, भाखरा नांगल परियोजना में हिस्सेदार है। मूलतः परियोजना के अन्तर्गत, केवल श्री गंगानगर, चूरू, झुन्झुनू और सीकर जिलों को ही बिजली मिलने को थी; लेकिन अब बीकानेर और नागौर जिलों को भी सम्मिलित करना संभव होगया है। ६७२ मील लम्बी ट्रान्समिशन लाइन १४ महीनों में लगाई जायगी जो इन जिलों में १५००० किलोवाट बिजली प्रदाय (Supply) करेगी।

सरकार ने एक राजस्थान विद्युत परियोजना स्थायी समिति स्थापित की है जिसको पर्याप्त अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं और यह परियोजनाओं के शीघ्र और कुशल संपादन में सहायक होगी।

सस्ती जल विद्युत के प्राप्त होने से मध्यम श्रेणी तथा छोटे उद्योगों को १.२५ आना प्रति यूनिट और बड़े उद्योगों को तीन पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली प्रदान करना संभव हो सकेगा। कृषि के प्रयोजनों के लिये बिजली १.२५ आना प्रति यूनिट की दर से प्राप्त हो सकेगी।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

ञा-विविध—लेकिन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत थोड़ी सी वृद्धि हुई है ।

'विविध' के अन्तर्गत कमी, स्थानीय विकास निर्माण कार्यों के लिये केन्द्रीय सहायता को नवीन शीर्षक '५१ का' को स्थानान्तरित करने के कारण हुई है ।

डा०-असाधारण मद.—'असाधारण प्राप्तियों के अन्तर्गत कमी नागरिक रसद विभाग से कम प्राप्तियां होने के कारण हुई है ।

'५१' के अन्तर्गत वृद्धि सामुदायिक विकास परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं एवं स्थानीय विकास निर्माण कार्यों के लिये भारत सरकार से प्रत्याशित अधिक प्राप्तियों के कारण हुई है ।

व्यय—

व्यय--अनुमानों के अन्तर्गत कुल व्यवस्था २४६६.२६ लाख रु० की होती है ।

'का-राजस्व पर सीधी मांगों'—के अन्तर्गत जिसमें '७भू—राजस्व', '८-राज्य आबकारी कर', '६-स्टाम्पस्', '१०-वन', '११-पंजीयन', '१२-मोटर गाड़ी अधिनियमों के कारण व्यय', और '१३ अन्य कर और महसूल' अन्तर्भूत हैं, चालू वर्ष के संशोधित के २६५.७४ लाख रु० के मुकाबले कुल अनुमान ३८८.०२ लाख रु० का आता है ।

'७-भू-राजस्व'.—जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के प्रवर्तन के सम्बन्ध में कर्मचारी वर्ग और अन्य व्यय के लिये अपेक्षित अधिक धन राशि के अलावा जागीरों के पुनर्ग्रहण के परिणाम स्वरूप जागीरदारों को हानिपूर्ति के भुगतान के लिये संशोधित के १० लाख रु० के विरुद्ध १२५ लाख रु० की व्यवस्था रखी गई है ।

'१३-अन्य कर और महसूल'—अन्तर्राज्य मार्ग करों के समापन के कारण कमी हुई है । आबकारी और विक्रय कर के कार्य के लिये एक संयुक्त विभाग स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

प्रभाग 'का' के अन्तर्गत अन्य शीर्षकों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन (Variations) नहीं हुए हैं ।

गा-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों का राजस्व लेखा

'१७-उन निर्माण कार्यों पर ब्याज जिनके लिये पूंजी लेखे रखे जाते हैं-विकास निर्माण कार्यों (पूंजी व्यय) के लिये रखे गये अधिक आपंटन (Allotment) को ध्यान में रखते हुए प्रधान शीर्षक '१७' और '५२' के अन्तर्गत बढ़ा कर व्यवस्था की गई है ।

'१८-साधारण राजस्वों से अर्थ प्रबंधित अन्य राजस्व व्यय'-के अन्तर्गत कमी ऋणों में से अर्थ प्रबंधित किये जाने वाले निर्माण कार्यों को '६८' शीर्षक में स्थानान्तरित करने के कारण हुई है ।

'१६' के अन्तर्गत घटा कर व्यवस्था की जा रही है क्योंकि फैडरल फाइनेन्शियल इन्टीग्रेशन

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

एग्रीमेंट के अन्तर्गत एड हाक अनुदान में से केवल बहुत थोड़ी रकम १६५५–५६ में काम में ली जाने के लिये बची है।

ङ–ऋण सेवायें—'२२–ऋण और अन्य दायित्वों पर व्याज'–के अन्तर्गत व्याज के व्ययों को चुकाने के लिये कुल व्यवस्था ज्यादा रकम के लिये की गई हैं लेकिन निर्माण कार्यों पर बढ़ी हुई पूंजी की लागत के कारण '१७' और '५२' से स्थानान्तरणों (Transfers) के कारण शुद्ध व्यवस्था नाम मात्र को ८६,००० की है।

अब तक हम स्थायी समझौते के अंतर्गत इम्पीरियल बैंक से उधार ली गई रकम पर ४% व्याज देते रहे हैं, लेकिन इसमें ३/४% की कमी प्राप्त करना संभव हो गया है और यह ऋण प्रभारों में व्यय की कमी का कारण है।

चूंकि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास योजनाओं के लिये अर्थ प्रबंधन के हेतु एक बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता है और १६५५–५६ योजना का अंतिम वर्ष है इसलिये विकास कार्यक्रमों से संबद्ध भिन्न भिन्न राजस्व और पूंजी शीर्षकों के अंतर्गत बढे हुये आवंटनों की व्यवस्था की गई है। इसीलिये ऋण को कम करने या उससे बचने के लिये किसी रकम की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है।

च—नागरिक प्रशासन—'२५-सामान्य प्रशासन'–१६५५–५६ के आय व्ययक अनुमान में कमी स्थानीय विकास निर्माण कार्यों के लिये २५.४० लाख रु० की व्यवस्था का '६३ ख' को स्थानान्तरित किये जाने के कारण हुई है।

'२७–न्याय-प्रशासन' के अंतर्गत सामान्य वृद्धियों (Increments) आदि को तथा अन्य गौण शीर्षकों के अन्तर्गत परिवर्तनों को ध्यान में रख कर अनुमान ३७.८६ लाख का प्रस्तावित किया गया है।

'२६–पुलिस' के अंतर्गत गौण शीर्षकों का योग ३०० लाख होता है, लेकिन व्यय को कम करने की नितांत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, इस शीर्षक के अन्तर्गत १५ लाख रु० की कमी कर दी गई है।

'३६–वैज्ञानिक विभागों के अंतर्गत अतिरिक्त टैक्निकल स्टाफ, प्रशिक्षण संस्था और पूर्वेक्षण (ProsPecting) क्रियाओं के लिये व्यवस्था की गई है।

'३७–शिक्षा' के अंतर्गत व्यय वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। १६५२–५३ में यह रकम २५६.५३ लाख रु० थी और १६५३–५४ में २६०.१० लाख रु० हो गई। बहुत सी विकास योजनाओं की अभिपूर्ति द्वारा आवश्यक बना दिये गये अतिरिक्त व्यय को ध्यान में रखने के पश्चात् चालू वर्ष के आय-व्ययक में बढ़ा कर व्यवस्था रखी गई थी जो ३३.५२० लाख रु० थीं।

चालू वर्ष में :–१३०० नये प्राथमिक विद्यालय प्रारम्भ किये गये हैं, २१ मिडिल स्कूलों को उच

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

विद्यालय बना दिया गया है, गंगानगर इंटर कॉलेज को कला में डिग्री कालेज बना दिया गया है और श्री महाराजकुमार इन्टर कॉलेज, जोधपुर को कला और वाणिज्य में उत्तर स्नातक (Post graduate) महाविद्यालय बना दिया गया है। जयपुर नगर के गैर सरकारी उच्च विद्यालयों को सहायता दी गई तथा महाराजाकॉलेज में प्रवेश चाहने वाले छात्रों की संख्या को कम करने के लिये, वे कला, वाणिज्य में, इंटर कालेज बना दिये गये हैं। बीकानेर, अलवर, भरतपुर, गंगानगर, जोधपुर और कोटा के सरकारी महाविद्यालयों में एन. सी. सी. के ७ डिविज़न प्रारम्भ किये गये हैं।

प्राविधिक (Technical) शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने निम्नांकित कदम उठाये हैं:—

(१) विद्युत, यान्त्रिक और प्रारूपकारों (Daftsmen) (नागरिक) के एम. बी. एम. इन्जीनियरिंग कालेज, जोधपुर में डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ किये गये हैं जिनमें से प्रत्येक में १५ छात्र भर्ती किये जा सकते हैं।

(२) सिविल इन्जीनियरिंग में वर्तमान दो वर्ष का डिप्लोमा कोर्स, भारत सरकार द्वारा प्रस्वीकृत नेशनल सर्टिफिकेट के स्तर तक लाने के लिये, ३ वर्ष के डिप्लोमा कोर्स में परिवर्तित कर दिया गया है।

(३) डिप्लोमा कोर्स (सिविल इन्जीनियरिंग) में प्रवेशों की संख्या ३५ से ७० कर दी गई है।

अन्य हस्तगत योजनायें ये हैं:—

(१) किसी चुने हुए क्षेत्र में अधिकतम शिक्षा योजनाएं

(२) एकीकृत पुस्तकालय सेवा की योजना; और

(३) उदयपुर और बीकानेर में ट्रेनिंग कालेज द्वारा हस्तगत अन्वेषण कार्य।

सरकार ने छात्र वृत्तियां तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये एक संशोधित योजना स्वीकार की है।

शिक्षा पद्धति के पुनः अनुस्थापन की आवश्यकता महसूस करने के कारण, एक समिति शिक्षा के सारे क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिये तथा प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय संबंधी, शिल्प संबंधी, व्यवसायिक और सामाजिक शिक्षा के बारे में सिफारिशें करने के हेतु नियुक्त की गई जिसके मुख्य मन्त्री, शिक्षा मन्त्री, अन्य शिक्षाविद् और सरकारी अफसर सदस्य थे।

शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के अधीन:—

(१) २५ बहुमुखी स्कूलों की स्थापना के लिये,

(२) १० हाई स्कूलों को विज्ञान पढ़ाने के हेतु सहायता देने के लिये,

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

(३) २५ हाई स्कूलों में शिक्षा की उन्नति के लिये,

(४) स्कूलों में पुस्तकालय में सुधार के लिये, और

(५) ५० माध्यमिक स्कूलों में शिल्प सम्बन्धी शिक्षा का प्रारम्भ करने के लिये, योजनायें भी स्वीकृत हो चुकी हैं। १९५५-५६ में १०५० नये प्राथमिक स्कूल खोलने का विचार है। हाथ में ली गई विकास योजनाओं के कारण आवश्यक अतिरिक्त व्यय को ध्यान में रखते हुए तथा आगे की नई योजनाओं के लिये व्यवस्था को सम्मिलित करते हुए, आगामी वर्ष के लिये शिक्षा पर होने वाले व्यय का अनुमान (नागरिक निर्माण कार्य के अधीन शिक्षा के लिये भवनों की व्यवस्था को छोड़ते हुए) ४०० लाख रुपये होता है।

"**३८-चिकित्सा**"—के अन्तर्गत भी बढ़ा कर व्यवस्था की गई है। स्थायी व्यय के अधीन दवाइयां, औजारों के क्रय, बीमारों के भोजन इत्यादि के लिये नियत धन राशि में वृद्धि के अतिरिक्त, १२ एलोपेथिक चिकित्सालय और ७० आयुर्वेदिक औषधालय खोलने, दाइयों और नर्सों के शिक्षण का प्रबन्ध करने, बारी में टी. बी. सेनीटोरियम खोलने तथा सामान औरवर्दी के लिये व्यवस्था की गई है।

इस वर्ष में इन्डियन मैडिसिनस एक्ट प्रभाव में लाया गया तथा वैद्यों और हकीमों के रजिस्ट्रेशन के लिये प्रथम मैडिकल बोर्ड बना दिया गया है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है। ड्रगज रूल्स अन्तिम रूप में प्रकाशित कर दिये गये हैं तथा दवाइयों में मिलावट और नकली दवाइयों के निर्माण को रोकने के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है।

७ नये औषधालय, ५ सहायता स्थान, १० प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र और ७ परिवार नियोजन केन्द्र खोलने के वास्ते कार्यवाही की गई है। ३५ आयुर्वेदिक औषधालय भी खोले गये हैं। ये औषधालय डिस्ट्रिक्ट बोर्डों द्वारा खोले जाने वाले औषधालयों के अतिरिक्त हैं। लाडनू, सीकर और कोटा में ३ सर्जीकल और नेत्र चिकित्सा कैम्प, ग्रामीण जनता को सहायता पहुँचाने के लिये संगठित किये गये। सीकर में करीब ७०० सर्जीकल के केस और कोटा में ४०० नेत्र चिकित्सा के केस महान् सफलता के साथ निरोग किये गये।

सवाई मानसिंह मैडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापन प्रारम्भ कर दिया गया है। पशु-गृह का निर्माण हो गया है और पशुओं पर गवेषणा का कार्य भी शुरू कर दिया गया है तथा बीकानेर में दाइयों के लिये भी एक प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिया गया है।

बढ़ती हुई मांग को पूरी करने के लिए, सवाई मानसिंह अस्पताल में अतिरिक्त वार्ड बना दिये गये हैं। कोटा में जनरल अस्पताल का निर्माण आगामी वर्ष के मध्य तक समाप्त हो जायगा।

१९५२-५३ के १०३.८२ लाख रुपये और १९५३-५४ के ११२.९१ लाख रुपये के वास्तविक व्यय और चालू वर्ष के १२९.७४ लाख रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में आगामी वर्ष का अनुमान १४०.९५ लाख रुपये का है।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

'३६–जन स्वास्थ्य'—के अन्तर्गत वृद्धि मुख्यतया पंचवर्षीय योजना के अधीन गांवों में जल पहुँचाने की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बढ़ा कर रखी गई राशि (६६ लाख रुपये) के कारण और सहायक नर्सों और दाइयों के प्रशिक्षण, प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्रों और श्रम-गृहों को खोलने तथा राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण योजना के अधीन एक अतिरिक्त यूनिट बनाने के लिये राशियां निर्धारित करने के कारण हुई हैं।

'४०–कृषि'के अन्तर्गत संशोधित अनुमानों के ३३.६७ लाख रुपये के अनुमान में कंप्रैशर्स के क्रय के लिये भी रकम सम्मिलित हैं। इस अनावर्त्तक राशि को छोड़ते हुए पंचवर्षीय योजना के अधीन की जाने वाली कार्यवाहियों के लिए व्यवस्था करने के बाद, आगामी वर्ष का अनुमान ३४.३१ लाख रुपये रखा गया है।

'४० का–ग्राम विकास'—आगामी वर्ष का अनुमान कम होने का कारण यह है कि पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण की योजनाओं के लिये नियत राशि को '४७–विविध विभागों के अधीन स्थानान्तरित कर दिया गया है।

'४१–पशु चिकित्सा' और '४२–सहकारिता' के अन्तर्गत अधिक राशि की व्यवस्था विकास योजनाओं के निष्पादन के लिये की गई हैं। बीकानेर में एक पशु चिकित्सा कॉलेज की स्थापना कर दी गई हैं। नये चिकित्सालय खोले गये है और आगामी वर्ष में १५ नये चिकित्सालय खोलने के लिये व्यवस्था की गई है।

'४३–उद्योग और रसद'—के अन्तर्गत अधिक राशि की व्यवस्था गंगानगर शुगर फैक्टरी के प्रबन्ध के लिये की गई है। भारत सरकार के उद्योग तथा व्यवसाय मन्त्रालय द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के अधीन नए छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये, बम्बई और कलकत्ता स्थित एम्पोरियम्स के लिये, औद्योगिक और आर्थिक सर्वेक्षण के लिये, हस्तशिल्प बोर्ड के लिये, खादी बोर्ड के लिए तथा राज्य मे छोटे पैमाने के उद्योगों को सहायता देने के लिए विशेष व्यवस्था का समावेश किया गया है।

'४७–विविध विभाग'—इसके अन्तर्गत वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि पिछड़ी हुई जातियों के विभाग की व्यवस्था '४० का–ग्राम विकास' से इस शीर्षक के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर दी गयी है।

'५०–नागरिक निर्माण कार्य—के अन्तर्गत अधिक राशि की व्यवस्था सड़कों और भवनों के ठीक हालत में रखे जाने के लिए है। कुल संख्या में कमी—

(१) ऐसे निर्माण-कार्यों का, जिनके लिए अर्थ-प्रबन्ध ऋणों में से किया जाता है, पूंजी शीर्षकों के अन्तर्गत स्थानान्तरण, और

(२) पंचवर्षीय योजना के निर्माण-कार्यों पर ज्यादा जोर देना आवश्यक होने के कारण

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

राज्य के राजस्व में से निर्माण-कार्यों के लिए अर्थ प्रबन्ध की कम व्यवस्था करने, के कारण हुई है।

"५० का"—के अन्तर्गत राजस्व में से किये जाने वाले नागरिक निर्माण-कार्यों के निमित्त पूंजी की लागत के लिये व्यवस्था की गई है। भारत सरकार ने ऐसे सड़क सम्बन्धी निर्माण-कार्यों के लिये, जिनका आर्थिक और अंतर्राजकीय महत्व है, विशेष सहायता की मंजूरी दी है और इन निर्माण-कार्यों के लिये ६६.२८ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, ऐसे प्रशासकीय भवनों के लिये, जिनके लिये अर्थ-प्रबन्ध गाडगिल समिति की सिफारिशों के अधीन केन्द्रीय सहायता में से किया जाना है, ७६.५० लाख रुपये की व्यवस्था भी इसमें सम्मिलित कर ली गई है।

"५४-दुर्भिक्ष"—कमी के क्षेत्रों में १६५५-५६ में खर्च किये जाने के लिये १६.३७ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। २२.५ लाख रुपये की राशि के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के सहायता अनुदान के २.२५ लाख रुपये, जिनका अकाल सहायता निधि में स्थानान्तरण किया जाना है और साधारण राजस्वों में से, चालू वर्ष में नियत किये गये ३० लाख रुपये की तुलना में अकाल सहायता निधि में २० लाख रुपये के घटे हुये अंशदान आते हैं।

'५४ खा--भारतीय नरेशों के निजी व्यय (Privy purse) तथा भत्ते—इसमें कमी फैडरल फाइनेंनशियल इंटीग्रेशन एग्रीमेन्ट में उल्लिखित पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर निजी व्यय में राज्य का अंशदान बन्द होने के कारण हुई है।

"५५--अधिवार्षिकी भत्ते तथा निवृत्ति वेतन'—राशि में वृद्धि कस्टम विभाग के उठ जाने और जागीर पुनर्ग्रहण के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक संख्या में अवकाश प्राप्त हुए व्यक्तियों को निवृत्ति वेतन और उपदान देने के लिये आवश्यक है।

'५७--विविध'-- के अन्तर्गत ऐसे कई शीर्षक हैं जिनमें घटा बढ़ी हुई है किन्तु पूर्व दायित्वों सम्बन्धी शीर्षक कमी बतलाने वाला एक महत्वपूर्ण शीर्षक है।

"६३-असाधारण भार-इसके अन्तर्गत कमी रसद विभाग, जो कि बन्द किया जा रहा है, के सम्बन्ध में कम राशि की व्यवस्था करने के कारण हुई है।

"६३ खा-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य-सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना से सम्बन्धित व्यय के लिये अधिक राशि व्यवस्था की गई है। स्थानीय विकास कार्यों की व्यवस्था भी इस शीर्षक के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दी गई है।

२२३०.०० लाख रुपये की कुल राजस्व प्राप्ति की तुलना मे राजस्व व्यय का अनुमान २४६६.२८ लाख रूपये का होता है और इस प्रकार २३६.२६ लाख रुपये की राजस्व कमी दिखाई देती है। अंतर्राजकीय करों को बंद करने के साथ ऐसा होना अनिवार्य था। पर भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। हमें अपने विकास कार्यक्रम को आगे बढाना है। राजस्व साधनों की वृद्धि करने के

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यह आशा की जाती है कि इस घाटे के कुछ अंश की पूर्ति आगामी वित्तीय वर्ष में हो जायगी। हमें विश्वास है कि समय के क्रम से हम राज्य में वित्तीय साम्य की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। सिंचन कार्यों से प्राप्त राजस्व में वृद्धि होगी। सर्वतोन्मुखी आर्थिक विकास के फलस्वरूप अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत भी राजस्व में वृद्धि होगी। सुधार शुल्क (Betterment evy) लगाने और भाखरा, चम्बल और अन्य विकसित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि को बिक्री से पूंजी प्राप्तियां भी बढ़ेंगी जो केन्द्रीय सरकार से लिए जा रहे ऋणों को कम करने में प्रयुक्त की जायंगी। सुधार शुल्कों के लगाये जाने के लिये और जो क्षेत्र विकसित हो चुके हैं उन में भूमि की बिक्री के लिये प्रबन्ध करन का कार्य हाथ में ले लिया गया है।

राजस्व लेखे के बाहर सम्पूर्ण पूंजी व्यय के कार्य क्रम का अनुमान १५१५.११ लाख रुपये लगाया गया है :—

१. सिंचन, नौचालन, तट बन्धन और जल निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण	६५७.५२
२. जन स्वास्थ्य के सुधार पर पूंजी की लागत	५.१३
३. औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत	३६.००
४. बहुमुखी नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत	३९०.८५
५. राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा ...	१७५.०९
६. विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत	२२७.०६
७. राजस्व लेखे से बाहर अन्य राजकीय निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा ...	८.०१
८. सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यापार की राजकीय योजनाओं पर पूंजी की लागत	१५.४५
	१५१५.११

विकास योजनाओं के लिये रखेगये पूंजी व्यय के अलावा, '७२ औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत' के अधीन ३६ लाख रुपये की व्यवस्था राजस्थान वित्त निगम के हिस्सों को खरीदने के लिये की गई है। रिजर्व बैंक और राजस्थान सरकार को एक करोड़ रुपये की निर्गमित पूंजी के ५१% भाग के हिस्से खरीदना आवश्यक है। रिजर्व बैंक ने १५% खरीदना स्वीकार कर लिया है और ३६% पूंजी की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी है। निगम का उद्देश्य राज्य में मध्यम तथा छोटे पैमाने के व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह राज्य के औद्योगिक और व्यवसायिक समुदाय द्वारा लम्बे अरसे से महसूस की जाने वाली आवश्यकता को पूर्ण करेगा।

धन विनियोग—राजस्थान के निर्माण होने पर कुल १९३७.२७ लाख रुपये के विनियोग विभिन्न संधिपत्रांतर्गत राज्यों से प्राप्त हुए जिसमें से १२४.३० लाख रुपये न्यास निधियों से सम्बन्धित

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

थे। १ अप्रेल, १९५४ को कुल विनियोग १४७९.४३ लाख रुपये के थे जिसमें न्यास निधियों (Trust fund) से सम्बन्धित २४.६० लाख रुपये भी सम्मिलित थे। ३१ मार्च, १९५५, को इनके १४७९.७८ लाख रुपये के होने की संभावना है।

जमा से अधिक निष्कासन (ओवरड्राफ्ट)—संचित निधियों और विशेष प्रयोजनों के लिये अलग रखे गये १२३७.४० लाख रुपयों के जी० पी० नोट्स में से १२१७.५७ लाख रुपये के अंकित मूल्य के जी० पी नोट्स इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पास राजस्थान सरकार के केन्द्रीय चालू लेखे में जमा से अधिक निष्कासन धान्य प्राप्ति योजना, अकाल और महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के कार्यक्रमों का अर्थ प्रबन्ध करने के उद्देश्य से, प्राप्त करने के लिये रेहन रखे हुए हैं। तारीख १-४-१९५४ को जमा से अधिक निष्कासन ७१९.८६ लाख रुपये का था। चालू वर्ष के शेष समय की संभाव्य प्राप्तियों और भुगतानों को ध्यान में रखते हुए ३१ मार्च, सन् १९५५ को इन संख्या को कम करके ६६९.८६ लाख रुपये तक लाने की सम्भावना है।

२३९.२९ लाख रुपये की राजस्व कमी के अतिरिक्त, पूंजी व्यय के लिये धन की व्यवस्था करने के लिये भी रुपये की आवश्यकता होगी। संपूर्ण पूंजी कार्यक्रम में, कतिपय, अप्रधान शीर्षकों के अतिरिक्त विकास योजनाएं हैं जिनके लिये केन्द्रीय सहायता, ऋण के रूप में उपलब्ध होगी।

ब्याज (सिवाय भाखड़ा परियोजनाओं सम्बन्धी उभयपक्षीय निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में जिनके लिये व्याज भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत ऋण की मांग में भी सम्मिलित है) के भुगतान की व्यवस्था राजस्व बजट में की गई है।

अपना भाषण समाप्त करने के पूर्व मैं राज्य की पंच वर्षीय योजना और सामुदायिक विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं पर प्रकाश डालना आवश्यक समझता हूं। सदस्यों को ऐसे स्मृतिपत्र अलग से दिये जा रहे हैं जिनमें प्रत्येक मद पर विस्तृत जानकारी दी गई है।

मूल रूप से दिये गये १५.२१ करोड़ रुपये के मुकाबले में अब योजना २४२१.४ लाख रुपये की है जिसमें सिंचाई के छोटे मोटे कामों के लिये दिये गये १७५ लाख रुपये शामिल नहीं हैं। शुरू के दो सालों में हमने कोई खास प्रगति नहीं की। असली काम १९५३-५४ में शुरू हुआ पर चालू वर्ष के आरम्भ से काम की रफ्तार बढ़ा दी गई। १९५३-५४ के अन्त तक कुल ७६५.२ लाख रुपये खर्च हुए। चालू वर्ष के बजट में ८१७ लाख रुपये रखे गये थे इनके मुकाबले संशोधित अनुमान ६७८.४९ लाख रुपये का है जिनमें पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण की अतिरिक्त योजनाएं शामिल हैं जिनके लिये योजना में मूल रूप से कोई व्यवस्था नहीं थी। शक्ति परियोजनाओं के अन्तर्गत चालू वर्ष में करीब ६० लाख की कमी होने की आशा है। इसका कारण यह है कि अधिकांश प्लांट, साज सज्जा और सामान टी. सी. एम. सहायता के अन्तर्गत मंगाया गया है और इस खर्चे की आगे बढाना हमारे नियन्त्रण के बाहर की बात है। दूसरे सीगों में भी विभिन्न कारणों वंश विभाग उतनी प्रगति नहीं करके दिखा सके है जितनी कि हम आशा करते थे। आगामी वर्ष के अन्त तक इस कमी को काफी हद तक पूरी करना संभव हो सकेगा। विभागीय संगठन पूरे वेग से काम कर रहें हैं। सरकार की ओर से ऐसी हिदायत कर दी गई है कि सारे कार्य-

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

क्रम को पूरा करने में पूरी शक्ति लगा दी जाय और इसलिये आगामी वर्ष के लिये पूरी व्यवस्था रखने का प्रस्ताव किया गया है ।

जहां तक सामुदायिक योजनाओं य और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं का सम्बन्ध है उनके महत्व पर बल देना निरर्थक है । सामुदायिक योजना जनता की योजना है जो जनता द्वारा पूरी की जायगी और जनता के लिये की जायगी । लगभग २०० वर्षों से मनुष्य और सामान दोनों का ही प्रवाह एक ही ओर को अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर को था । विदेशी शासकों द्वारा बसाये गये नगरों से शायद ही कोई चीज़ वापिस गावों की ओर गई हो । एक ग्रामीण को भी पर्याप्त भोजन, अच्छा स्वास्थ्य, पर्याप्त वस्त्र और रहने को मकान उपलब्ध होने चाहिये उसके पास भी मनोविनोद के पर्याप्त साधन होने चाहिये जिनसे वह दिन भर के कार्य और सामाजिक जीवन के लिये स्फूर्ति पा सके । यह सब तभी हो सकता है जब ग्रामीण इतना पर्याप्त पैदा कर सके कि वह स्वयं भी अच्छी तरह खा सके और अन्य सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिये बचा भी सके । राष्ट्रीय विस्तार सेवा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये ही बनाई गई है । राजस्थान में इस समय ३६ खंड है, ६ सामुदायिक विकास खंड और २७ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड । राजस्थान की जन संख्या का लगभग एक चौथाई भाग इन खंडो के अन्तर्गत आ जाता है । इन ३६ खंडों पर ३७०.४६ लाख रुपया खर्च होगा । अब तक इनमें जो प्रगति हुई है वह हमारे लक्ष्य को देखते भले ही कम हो पर अन्य राज्यों के मुकाबले में संतोषजनक समझी जाती है । द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना की अवधि की समाप्ति तक सारा देश विस्तार सेवा के अन्तर्गत आ जायगा । अधिक उत्पादन से अधिक लोग काम पर लगेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी या कम रोजगारी की समस्या काफी हद तक हल हो जायगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता का जीवन स्तर निश्चित रूप से ऊंचा उठ जायगा ।

आरंभ में मैंने कहा था कि हमारा उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य बनाना है । हम इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करते रहे हैं । यदि हम पिछले दो वर्षों में किये कार्यों पर दृष्टि डालें और उनकी तुलना अपनी विरासत से करे तो हम देखेंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं । चालू वर्ष में महत्वपूर्ण प्रगति करना संभव हो सका है । आगामी वर्ष के अनुमानों का मोटे रूप से विश्लेषण करने से स्पष्ट हो जायगा कि हम दृढ़ता के साथ द्रत गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं । जन उपयोगी और कल्याणकारी विभागों पर १९४८-४९ में वास्तविक व्यय ५४७.६४ लाख हुआ था । १९५३-५४ वास्तविक के व्यय का अंक १०९८.७१ लाख है । चालू वर्ष के संशोधित अनुमान २२८४.०६ लाख के हैं और अगले वर्ष के अनुमानों में २५०० लाख रुपये की व्यवस्था रखी गई है । विकास के दृष्टिकोण से देखने पर मालूम होगा कि हमने महत्वपूर्ण प्रगति की है । सामाजिक सेवाओं, जिनमें शिक्षा, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, ग्राम विकास, सहकारिता आदि सम्मिलित हैं, पर व्यय द्रुत गति से बढ़ रहा है । १९५३-५४ में यह व्यय ५४३.६४ लाख था । १९५४-५५ (संशोधित) में यह बढ़कर ६८६.१८ लाख हो गया और अगले साल के लिये कुल अनुमान ८४५.२४ लाख रुपये का है ।

अन्त में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सरकार अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

भरसक प्रयत्न कर रही है । पूरी पूरी सफलता तो सब के सहयोग से ही प्राप्त हो सकती है । अतः मैं राज्य के प्रत्येक नागरिक से अनुरोध करता हूं कि वह सरकार को अपने प्रयत्नों में सहायता दे । मैं निः संकोच यह कह सकता हूं कि तभी हम अपने उद्देश्य को कम से कम समय में प्राप्त करने में समर्थ होंगे । जय हिंद ।

(करतल ध्वनि)

श्री अध्यक्ष—आय व्ययक सम्बन्धी पत्रावली आपको यहीं मिल जायगी । अब मैं सदन की कार्यवाही को कल साढ़े आठ बजे तक के लिये स्थगित करता हूँ ।

(सदन की कार्यवाही ३ बज कर १५ मिनट पर, कल दिनांक १५ मार्च, १९५५ के साढ़े आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक, १४ मार्च, १९५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।